दिनांक–28.12.2023 को निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–

1.	श्री श्याम बिहारी मीणा, निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग।	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक कुमार सिंह, उप निदेशक (मुख्यालय), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग।	सदस्य सचिव
3.	श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, उप निदेशक कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना।	सदस्य
4.	श्री बृज किशोर प्रसाद, प्रधानाध्यापक, +2 राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, जहानाबाद	सदस्य
5.	श्री डॉ0 राजीव रंजन, प्रधानाध्यापक, +2 राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, राजगीर, नालंदा ।	सदस्य
6.	श्रीमती डॉ0 कीर्ति प्रकाश, प्रधानाध्यापिका, +2 राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, सासाराम ।	सदस्य

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया किः–

1. विभागीय पत्रांक–24 दिनांक–03.01.2023 की कंडिका–2 के आलोक में वर्ग–1 में नामांकन "लॉटरी पद्धति" के माध्यम से किया जायेगा। लॉटरी के पश्चात् संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी तथा आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र/छात्राओं का काउन्सिलिंग (Counselling) कर प्रमंडल स्तर पर गठित नामांकन समिति से अनुशंसा प्राप्त किया जायेगा।

   लॉटरी सिस्टम से चयनित छात्र का उम्र अगर देखने में अधिक लगे तो उसकी जांच स्थानीय स्तर पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी करेंगे एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।
2. वर्ग–6 में नामांकन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में 100 अंको का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 20 अंक के गणित, 20 अंक हिन्दी, 20 अंक अंग्रेजी, 20 अंक विज्ञान एवं 20 अंक सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगा, परीक्षा की अवधि 10:00 बजे से 12:00 बजे दिन तक दो घंटे की होगी।
3. विभागीय पत्रांक–3466 दिनांक–28.06.2023 की कंडिका–3 के आलोक में डॉ० भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों में कुल स्वीकृत छात्र बल का अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए 10 प्रतिशत एवं राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए कुल स्वीकृत छात्र बल का 10 प्रतिशत सीटें आवंटित किया जायेगा तथा डॉ० भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों में 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्र नहीं मिलने पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन एवं राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्र नहीं मिलने पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन किया जायेगा।
4. वर्ग–1 एवं वर्ग–6 में नामांकन हेतु वैसे अनुसूचित जाति जिनकी साक्षरता दर 20 प्रतिशत से कम है, उन अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं के लिए 40 प्रतिशत एवं अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित करते हुए नामांकन किया जायेगा एवं शेष 35 प्रतिशत में अन्य अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए सीट आवंटित किया जायेगा। अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट के तहत अगर बच्चें नहीं मिले तो 20 प्रतिशत से कम साक्षरता वाले अनुसूचित जाति वर्ग से उक्त सीट को भरा जायेगा।
5. आवेदन ऑफ लाईन के साथ–साथ ऑनलाईन भी लिया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए आई0टी0 सेल से मदद ली जाएगी।

6. आवेदक के माता–पिता/अभिभावक का कोई आय सीमा नहीं होगी।

7. वर्ग 1 में नामांकन हेतु छात्र/छात्रा की उम्र सीमा नामांकन वर्ष के पहली अप्रैल (01.04.2024) को 05 वर्ष से 07 वर्ष रखा जाय। वर्ग–6 में नामांकन हेतु छात्र/छात्रा की उम्र सीमा नामांकन वर्ष के पहली अप्रैल (01.04.2024) को 10 वर्ष से 13 वर्ष रखी जाय, इसी आधार पर अन्य वर्गों में नामांकन की उम्र सीमा रखी जाय। जन्म प्रमाण–पत्र जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव/नगर निगम के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत हो, की छायाप्रति संलग्न किया जायेगा।

8. नामांकन प्रक्रिया हेतु तिथि का निर्धारण सर्वसम्मति से निम्न प्रकार करने का निर्णय लिया गयाः–

(क) आवेदक द्वारा जिला के जिला कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि	:– दिनांक–15.01.2024 से 15.02.2024 तक
(ख) आवेदक द्वारा जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि	:– दिनांक–27.02.2024 से 29.02.2024 तक
(ग) परीक्षा की तिथि	:– दिनांक–02.03.2024 (शनिवार)
(घ) परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि	:– दिनांक–11.03.2024
(ड़) नामांकन की तिथि	:– दिनांक–13.03.2024 से 23.03.2024 तक
(च) कक्षा प्रारंभ की तिथि	:– दिनांक–01.04.2024

9. नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु प्रश्न पत्रों का चयन/छपाई/वितरण मुख्यालय स्तर से निम्न तिथियों को किया जायेगाः–

(क) प्रश्न पत्रों का चयन	:– दिनांक–15.02.2024 से 16.02.2024 तक
(ख) प्रश्न पत्रों की प्रुफिंग/छपाई	:– दिनांक–21.02.2024 से 23.02.2024 तक
(ग) प्रश्न पत्रों का वितरण	:– दिनांक–27.02.2024 से 29.02.2024 तक

10. वर्ग–6 में नामांकन हेतु मेधा सूची, सभी परीक्षार्थियों की तैयार की जाय, ताकि चयनित सूची के नामांकन में अनुपस्थित छात्र/छात्रा के स्थान पर मेधा सूची के अनुसार प्रतीक्षा सूची (Waiting List) से नामांकन किया जा सके।

11. नामांकन प्रक्रिया का प्रचार–प्रसार विज्ञापन के माध्यम से किया जाय। साथ ही प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/जिला कल्याण पदाधिकारी अपने स्तर से इसका प्रचार–प्रसार करायेंगे। इस कार्य हेतु सभी जिला कल्याण पदाधिकारी विकास मित्रों की बैठक कर कम से कम अनु0 जाति/जनजाति विशेष कर मुसहर जाति के 2 से 5 आवेदन भरवाएगें।

12. वर्ग–6 में नामांकन हेतु रिक्ति की सूचना सभी जिला कल्याण पदाधिकारी से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों की सूचना प्रतिदिन जिला कल्याण पदाधिकारी/उप निदेशक कल्याण निश्चित रूप से उप निदेशक कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना एवं विभाग को उपलब्ध करायेंगे। दिनांक–16.02.2024 तक उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना रिक्तियों संबंधी समेकित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

13. नामांकन प्रक्रिया एवं अन्य संबंधित कार्य के लिए उप निदेशक, कल्याण पटना प्रमण्डल, पटना को संयोजक मनोनीत करने का निर्णय लिया गया।

14. वर्ग–6 में नामांकन हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए आकस्मिक व्यय हेतु प्रति केन्द्र एवं प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण के लिए यथोचित राशि आवंटित करने का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया।

15. वर्ग 6 के परीक्षा का ओ0एम0आर0 सीट इस तरह का होना चाहिए जिसका जांच कम्प्यूटर से करा कर परीक्षाफल कम्प्यूटराईज्ड ही तैयार हो। इसके लिए आई0टी0 सेल से सहयोग लिया जाए।

16. यह भी निर्णय लिया गया कि प्रवेश परीक्षा की तिथि–02.03.2024 हेतु परीक्षा केन्द्र का निर्धारण एवं विधि व्यवस्था संबंधी कार्य जिला प्रशासन के समन्वयन से सभी जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी सुनिश्चित करेगे एवं किसी भी स्थिति में विभागीय शिक्षक द्वारा वीक्षण का कार्य नहीं किया जायेगा। परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे। संबंधित उप निदेशक कल्याण निरंतर इसका अनुश्रवण करेंगे।

17. सभी जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह सूचना प्रकाशित करेंगे कि आवेदक अपना–अपना जाति/आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से तुरंत बनवा ले।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

8.1.24

निदेशक।

ज्ञापांक–4 निदे0 आ0वि0(नामांकन)–33–06/2022– 115 पटना, दिनांक– 08.01.2024

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रभारी प्रमण्डलीय उप निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण/सभी प्रभारी जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक, आवासीय विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9.1.24

निदेशक।

ज्ञापांक–4 निदे0 आ0वि0(नामांकन)–33–06/2022– 115 पटना, दिनांक– 08.01.2024

प्रतिलिपिः–सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.1.24

निदेशक।

ज्ञापांक–4 निदे0 आ0वि0(नामांकन)–33–06/2022– 115 पटना, दिनांक– 08.01.2024

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही की कंडिका 05 एवं 15 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

8.1.24

निदेशक।